म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./बी–6/नियमन/समर्थन मूल्य/1628 भोपाल,दिनांक 02/04/2019

प्रति,

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
शाजापुर, नीमच, उज्जैन, देवास, आगर मालवा, रतलाम

विषयः–समर्थन मूल्य पर प्याज की खरीदी के संबंध मे।

संदर्भः–म0प्र0 शासन गृह (सी–अनुभाग) विभाग मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 1105/1197/2019/दो/सी–एक्स दिनांक 13 मार्च, 2019

विषय संदर्भ मे लेख है कि म0प्र0 शासन गृह (सी–अनुभाग) विभाग मंत्रालय, भोपाल से सूत्र सूचना के संबंध मे पत्र प्राप्त हुआ है। प्रश्नाधीन सूत्र सूचना मे जिला शाजापुर एवं उज्जैन की मण्डियो मे प्याज खरीदी की व्यवस्थाये के संबंध मे उल्लेख किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपकी कृषि उपज मण्डी समितियों मे किसानो को सभी आवश्यक नियमित सुविधाये व्यवस्थाये अर्थात् नीलामी शेड, नियमित एवं शुद्ध तौल, नियमित भुगतान, छायादार विश्राम स्थल, पीने का पानी, शौचालय, शिकायत केन्द्र, सुरक्षा गार्ड की उत्तरदायित्वपूर्ण तैनाती तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाये।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार

(अपर संचालक महोदय द्वारा निर्देशानुसार)

संयुक्त संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र./बी–6/नियमन/समर्थन मूल्य/1629 भोपाल,दिनांक 02/04/2019
प्रतिलिपि :–

1 अवर सचिव म0प्र0 शासन गृह (सी–अनुभाग) विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

2 संयुक्त संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय उज्जेन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3 सचिव कृषि उपज मण्डी समिति (समस्त) मण्डी प्रांगण मे समय–समय पर निर्देशित अनुसार सभी आवश्यक सुविधाये/व्यवस्थाये किसानो को उपलब्ध कराईजावे।

संयुक्त संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
गृह (सी–अनुभाग) विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रं0 1105 / 1197 / 2019 / दो / सी–एक्स भोपाल, दिनांक 13 मार्च, 2019

प्रति,

कृषि उत्पादन आयुक्त,
मध्य प्रदेश, भोपाल ।

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, मंत्रालय,
भोपाल ।

विषय :– सूत्र सूचना के संबंध में।

---00---

विषयांकित सूत्र सूचना पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

निर्देशानुसार अनुरोध है कि संलग्न पत्र पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(श्रीदास)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग
13/3/2019

Mail/858 18/3/19
AD (कि.अन.)

M.D. Mandi Board Bhopal
802 Mandi
ADD(K.S.) 272
19/3/19
JD(P)/204
20-3-19
18/3/19

JD (Main)
व्यापारें देखें।
(मण्डी से संबंधित)
19/03/19

जिला शाजापुर, नीमच, मंदसौर एवं उज्जैन की मण्डियों में प्रतिदिन 1000 से 2500 क्विंटल से अधिक प्याज की आवक हो रही है, जबकि देवास, आगर मालवा, रतलाम में आवक सामान्य है। आगामी 10-15 दिनों में प्याज की आवक सभी जिलों में बढ़ने की संभावना है। उज्जैन संभाग अंतर्गत जिलों की मंडियों में प्याज 400 से 600 रूपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। खुले बाजार में प्याज की कीमत गुणवत्तानुसार 8 से 15 रूपये प्रति किलो है।

मण्डियों में किसानों के रूकने, नाश्ता-भोजन, त्वरित तुलाई व पेयजल की समुचित व्यवस्थाएं नहीं है। शाजापुर में करीब 2500 क्विंटल आवक प्रतिदिन होने से मंडी में ट्रेक्टरों की लंबी लाईन लगी रहती है। मण्डी के सुरक्षा गार्ड एवं मंडी प्रशासन के कर्मचारी ड्यूटी के प्रति लापरवाही करते हैं, जिससे किसानों को असुविधा होती है।

विगत दो वर्ष से पूर्व सरकार द्वारा प्याज की कम कीमतों के कारण किसानों को उचित मूल्य दिलाने हेतु समर्थन मूल्य पर क्रमशः 600 रूपये प्रति क्विंटल एवं 800 रूपयें प्रति क्विंटल खरीदी करायी गई थी ।

वर्तमान में शासन ने प्याज खरीदी को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किये हैं, और न ही सरकारी खरीदी की घोषणा की है।

आगामी दिनों में आवक बढ़ने से व्यापारियों द्वारा एकराय होकर कम कीमत पर खरीदी की जा सकती है। साथ ही प्याज का उचित मूल्य नहीं मिलने की स्थिति में विपक्षी राजनैतिक दलों द्वारा किसानों को उकसाकर कानून-व्यवस्था की स्थिति निर्मित किये जाने की संभावना है।

****